तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14/6/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील श्री लक्ष्मण प्रार्थी व प्रार्थी वकील को सुन-सुनकर बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी प्रार्थी व प्रार्थी वकील श्री लक्ष्मण पिलानी प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अवमानना अदर्ज सजा व अदर्ज पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नकार की जाकर दफ्तर सम्बन्धित हो।